संoसंo–7/बजट–46–18/2024– 534 (7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेo एवं हo), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक–20/03/2025

विषयः– दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, लहेरियासराय के विस्तारीकरण एवं पुनर्विकास योजना (फेज–1) की, वित्तीय वर्ष 2014–15 में, कुल प्राक्कलित राशि रु0 5,69,03,28,998/– (रुपये पाँच अरब उन्हत्तर करोड़ तीन लाख अठ्ठाईस हजार नौ सौ अन्ठानवें) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त स्कीम (योजना) के अन्तर्गत, प्रथम चरण में स्वीकृत सर्जिकल ब्लॉक के निर्माण हेतु योजना विस्तार के उपरान्त पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रू० 227.5440 करोड़ (रूपये दो अरब सताइस करोड़ चौवन लाख चालीस हजार) मात्र पर प्राप्त स्वीकृति सहित कुल पुनरीक्षित रू० 6,64,06,68,998/–मात्र के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 under Part-I" के अन्तर्गत अतिरिक्त किस्त के रूप में अवशेष राशि रु0 65,03,40,000/–(रुपये पैंसठ करोड़ तीन लाख चालीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, लहेरियासराय के विस्तारीकरण एवं पुनर्विकास योजना (फेज–1) के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल प्राक्कलित राशि रु0 5,69,03,28,998/– (रुपये पॉच अरब उन्हत्तर करोड तीन लाख अठ्ठाईस हजार नौ सौ अन्ठानवे) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति राज्यादेश सं0–942(1) दिनांक–22.09.2014 द्वारा प्रदान की गयी है।

2– विस्तारीकरण एवं पुनर्विकास योजना (फेज–1) के कार्यान्वयन अन्तर्गत सर्वप्रथम सर्जिकल ब्लॉक के निर्माण का कार्य करने हेतु निगम के द्वारा उक्त प्राक्कलित राशि के अन्तर्गत रु० 132.51 करोड के प्राक्कलित व्ययगत राशि की योजना तैयार की गयी थी, जिसमें अबतक स्वीकृत राशि निगम को उपलब्ध करा दी गयी है। बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के पत्राक–6928, दिनांक–04.11.2024 के द्वारा दरभगा मेडिकल कॉलेज एव अस्पताल, लहेरियासराय के विस्तारीकरण एवं पुनर्विकास योजना (फेज–1) के अन्तर्गत निर्माणाधीन 400 शैय्या के सर्जिकल भवन का निर्माण कार्य सबंधी योजना का विस्तार कर पुनः संशोधित कर योजनागत राशि रू० 227,54,40,000/–(रूपये दो अरब सताइस करोड चौवन लाख चालीस हजार) मात्र पर स्वीकृति प्रदान करते हुए शेष राशि (2,27,54,40,000–1,32,51,00,000) 95,03,40,000/–(रूपये पन्चानवे करोड तीन लाख चालीस हजार) मात्र आवंटन उपलब्ध कराने अनुरोध किया गया है। उक्त के आलोक में प्रथम चरण में स्वीकृत सर्जिकल ब्लॉक के निर्माण हेतु रू० 132.51 करोड के योजना विस्तार के उपरान्त रू० 227.5440 करोड मात्र की स्वीकृति एवं इसके विरूद्ध शेष राशि रू० 95,03,40,000/–मात्र उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त है।

3– भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्रांक– F.No.44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)-Bihar, दिनांक–24.01..2025, एवं F.No.44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)-Bihar- SACE-54, दिनांक–24.01.2025 तथा वित्त विभाग के पत्रांक–69/वि0 दिनांक–27.01.2025 के द्वारा निर्माण का कार्य करने हेतु पूर्व स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 मे भारत सरकार द्वारा "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 under Part-I " के तहत अतिरिक्त किस्त के रूप मे स्वास्थ्य विभाग को इस परियोजना हेतु कुल रु0 95.03 करोड मात्र की स्वीकृति प्राप्त हुई है। चूकि, विभागीय स्वीकृत्यादेश सख्या–404(7), दिनाक–30.01.2025 द्वारा योजनागत शेष राशि रु0 95.03 करोड के विरूद्ध रू० 30.00 करोड मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

4– उक्त परिप्रेक्ष्य में समीक्षोपरान्त लिये गये निर्णय के अनुरूप दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, लहेरियासराय के विस्तारीकरण एवं पुनर्विकास योजना (फेज–1) की, वित्तीय वर्ष 2014–15 में, कुल प्राक्कलित राशि रु0 5,69,03,28,998/–(रुपये पाँच अरब उन्हत्तर करोड तीन लाख अठ्ठाईस हजार नौ सौ अन्ठानवे) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त स्कीम (योजना) के अन्तर्गत, प्रथम चरण में स्वीकृत सर्जिकल ब्लॉक के निर्माण हेतु योजना विस्तार के उपरान्त पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रू० 227.5440 करोड (रूपये दो अरब सताइस करोड चौवन लाख चालीस हजार) मात्र पर प्राप्त स्वीकृति सहित कुल पुनरीक्षित रू० 6,64,06,68,998/–मात्र के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2024–25 मे भारत सरकार "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 under Part-I" के अन्तर्गत अतिरिक्त किस्त के रूप मे अवशेष राशि रु0 65,03,40,000/–(रुपये पैंसठ करोड तीन लाख चालीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5– अतएव इस योजना में अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरूपेण है:–

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	राशि (रु० में)	आवंटनादेश सं० एवं दिनांक
1	2016–17	20,00,00,000	सं०–76(1)ब०, दिनांक–06.01 2017
2	2021–22	13,20,00,000	सं०–01(7)ब०, दिनांक–11.08.2021
3	2021–22	12,80,00,000	सं०–409(7), दिनांक–14.03.2022
4	2022–23	8,25,00,000	सं०–85(7), दिनांक–24.06.2022
5	2022–23	8,00,00,000	सं०–187(7), दिनांक–06.09.2022
6	2022–23	10,60,00,000	सं०–291(7), दिनांक–24 11.2022
7	2023–24	20,00,00,000	सं०–237(7), दिनाक–27.09 2023
8	2023–24	33,00,00,000	सं०–471(7), दिनाक–12.02 2024
9	2024–25	6,66,00,000	सं०–183(7), दिनाक–17.09.2024
10	2024–25	30,00,00,000	सं०–404(7), दिनाक–30 01.2025
	कुल–	**1,62,51,00,000**	

6– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा राज्यादेश स0–942(1) दिनांक–22 09 2014 में वर्णित शर्तों के आधार पर कराया जायेगा।

7– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

8– इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष–0111–मेडिकल कॉलेज अस्पताल, विपत्र कोड–20–4210011100111 अंतर्गत विषय शीर्ष 53–मुख्य कार्य के 0111–53–01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई मे बजट उपबंध/अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जाएगा।

9– वित्त विभागीय पत्र संख्या–632वि०, दिनांक–04 07 2023 के क्रम में निर्गत वित्त विभागीय पत्र सख्या–10792/वि०, दिनाक–06 12.2023 के क्रम में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25" के लिए पूंजीगत परियोजनाओ से संबंधित चालू योजनाओ के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबधित बैक खाते में हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID------- में जमा करेंगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबंधित बैंक खाते मे हस्तान्तरित कर दिशा–निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेंगे।

10– वित्त विभागीय पत्रांक–432/वि०, दिनांक–29.03.2023 एवं पत्रांक–69/वि०, दिनांक–27.01.2025 के आलोक में ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र GFR 12B में विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र में तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एव व्यय के सुसगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र मे ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एव इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

11— यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या—2561/वि0(2), दिनांक—17.04.98, 2880/वि0(2), दिनांक—06.05.06, 2938/वि0(2), दिनांक—08.04.08 एवं 3758/वि0(2), दिनांक—31.05.2017, 7111/वि०(2), दिनांक—28.07.2022, पत्रांक—6439/वि०, दिनांक—28.08.2018 एवं पत्रांक—12888/वि०, दिनांक—03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

12— राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13— प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

14— प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या—7/बजट—46—18/2024 के पृष्ठ—107/टि0 पर प्राप्त है।

15— यह मात्र व्ययादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(शैलेश कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः—7/बजट—46—18/2024— 534(7)/स्वा0, पटना, दिनांक—20/03/2025

प्रतिलिपिः—महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा/जिलाधिकारी, दरभंगा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव— सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— मा0 मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी—7/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं उक्त सभी को ई—मेल के माध्यम से सूचित करने के निदेश के साथ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव